संख्या-1014/2025/653/22-2-2025-17(435)/2024

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 12 अगस्त, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आदिल उर्फ सिरान पुत्र सुफियान, निवासी जनपद-इलाहाबाद (प्रयागराज) की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-5899/प्रो0(6)/247, दिनांक 14.02.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आदिल उर्फ सिरान पुत्र सुफियान, जो ग्राम-106/01 बख्तियारी कचहरी रोड, पुराना कटरा, थाना-कर्नलगंज, जनपद-इलाहाबाद (प्रयागराज) का निवासी है। सिद्धदोष बन्दी आदिल उर्फ सिरान पुत्र स्व0 सुफियान, द्वारा दिनांक 04.12.2005 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सम्पत्ति विवाद की पुरानी रंजिश के कारण तमंचे से गोली मारकर 01 महिला की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-957/2006, भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.03.2009 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 03-08-2018 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 16-09-2020 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.03.2025 तक 19 वर्ष 03 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष, 09 माह, 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- बन्दी द्वारा कारित घटना एवं आचरण असन्तोषजनक होने के दृष्टिगत समिति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 161 के अन्तर्गत निर्धारित स्थायी नीति विषयक शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी0/2018, दिनांक 01.08.2018 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी0/2018, दिनांक 27.07.2021 तथा संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी आदिल उर्फ सिरान पुत्र सुफियान की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आदिल उर्फ सिरान (बन्दी संख्या-26607) पुत्र सुफियान, निवासी जनपद- इलाहाबाद (प्रयागराज) की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1014/2025/653(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद (प्रयागराज)।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ को मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में योजित क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन सं0-4715/2024 आदिल उर्फ सिरान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04-07-2024 के सन्दर्भ में।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।